

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री दीपक लोहार पिता स्व. करमा लोहार निवासी ग्राम: भेलवाटांड, थाना: खलारी, जिला: रांची (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चुरी, थाना सं: 16 (रैयती) खाता सं. 19 के अधीन प्लॉट सं. 40 & 41; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रांची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चुरी, थाना सं: 16 (रैयती) खाता सं. 19 के अधीन प्लॉट सं. 40 & 41; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री दीपक लोहार पिता स्व. करमा लोहार निवासी ग्राम: भेलवाटांड, थाना: खलारी, जिला: रांची (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

निगोल
29/9/21

उषा
29/9/21

3010912021 12:16